

फैक्ट लिस्ट

1 परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में कुनीगाड़-हिरुली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर-चौखुटिया तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण।

2 प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क	आरक्षित वन भूमि --	0.00
ख	सिविल एवं सोयम वन भूमि --	0.000
ग	वन पंचायत भूमि--	1.350
घ	योग	1.350
ड	निजी भूमि --	0.450

3 प्रस्तावक विभाग का नाम -- निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,रानीखेत

4 वन प्रभाग का नाम -- अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

5 प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है-- हाँ / ~~नहीं~~

6 प्रस्ताव में बिषय सूची भरी गई है-- हाँ / ~~नहीं~~

7 क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है-- हाँ / ~~नहीं~~

8 क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-- हाँ / ~~नहीं~~

9 प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है-- हाँ / ~~नहीं~~

10 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/ प्रमाण पत्र संलग्न है-- हाँ / ~~नहीं~~

11 बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है ~~बाँज वृक्ष प्रभावित नहीं होते हैं।~~ हाँ / नहीं

12 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया-- हाँ / ~~नहीं~~

13 समरेखन में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है-- हाँ / ~~नहीं~~

14 क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। हाँ / ~~नहीं~~

15 क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपड़ की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। हाँ / ~~नहीं~~

16 क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपड़ स्थल को दर्शाया गया है। हाँ / ~~नहीं~~

17 प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/ परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपड़ योजना संलग्न है-- हाँ / ~~नहीं~~

18 क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है-- हाँ / नहीं

19 प्रस्तावित क्षेत्र हाथी करीडोर का हिस्सा है। यदि हाँ तो मुख्य वन्य प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है -- हाँ / नहीं

20 क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है -- हाँ / ~~नहीं~~

- 21 प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) हाँ / नहीं
- 22 क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग अलग रंगों से भरा गया है -- हाँ / नहीं
- 23 यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है -- हाँ / नहीं
- 24 क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है। हाँ / नहीं
- 25 यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय -- हाँ / नहीं
- 26 सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक समरेखन मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हाँ / नहीं
- 27 वैकल्पिक समरेखनों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) हाँ / नहीं
- 28 लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत है (5 है० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगी) (5 है० से कम है) हाँ / नहीं
- 29 मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है -- हाँ / नहीं
- 30 मलुवे का निस्तारण मय मानचित्र सहित अथवा मलुवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है। हाँ / नहीं
- 31 राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है -- हाँ / नहीं
- 32 क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है। यदि छाया प्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं -- हाँ / नहीं
- 33 यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है -- हाँ / नहीं
- 34 वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है -- हाँ / नहीं
- 35 क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है -- हाँ / नहीं
- 36 क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न हैं -- हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं।

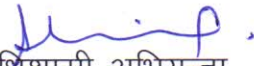
अधिसूचना क्र. 10/2014
निर्माण एवं वन विभाग
प्रस्तावित वन विभाग
रानीखेत

हस्ताक्षर
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

चैक लिस्ट

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में कुनीगाड़ हिरुली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर-चौखुटिया तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि सभी प्रमाण पत्र चैक लिस्ट के अनुसार लगाये गये हैं।


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत